

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/2016 पुनरीक्षण

जिला दतिया

1210-604-II/16

अजीत सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह पंजाबी
नई मण्डी समिति झांसी हाल निवास सीपरी
बाजार झांसी (उ.प्र.)

..... आवेदक

श्री. हरदयाल भोला
द्वारा आज दि. 18.2.16 को
प्रस्तुत

क.प.
18.2.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. संजय अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल
निवासी दैनिक भास्कर प्रेस,
शहर झांसी (उ.प्र.)
2. राजस्व निरीक्षक दतिया
3. ग्राम पटवारी प्रमोद श्रीवास्तव
4. म.प्र. १११५११

..... अनावेदकगण

हरदयाल भोला
18/2/16

न्यायालय / कार्यालय राजस्व निरीक्षक दतिया एवं ग्राम
पटवारी द्वारा स्थल भूमि खसरा क्रमांक 486, 489, 490 एवं
491 में की जा रही अवैध कार्यवाही के विरुद्ध संहिता की
धारा 50 एवं धारा 8 एवं धारा 32 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर निम्नानुसार निवेदन है कि -


- 1- यह कि, भूमि खसरा क्रमांक 389 रकवा 0.809 आरे, 391 रकवा 0.380, 392
रकवा 1.457 कुल कित्ता 3 रकवा 2.646 आरे आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय
पत्र से भूमिस्वामी हरनामदास भोला पुत्र श्री हरदयाल भोला द्वारा क्रय कर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 604-दो/2016

जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
18.2.16	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के०के०द्विवेदी को प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा भूमि खसरा क्र.389 रकबा 0.809, खसरा क्र. 391 रकबा 0.380, खसरा क्र. 392 रकबा 1.457 कुल 3 रकबा 2.646 आरे पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गई है जिसके पश्चात् उसके द्वारा विधिवत् नामान्तरण एवं बाउण्डीवाल का निर्माण कराया है, किन्तु वर्तमान स्थिति में अनावेदकगण द्वारा आवेदक की भूमि पर कब्जा करने के प्रयास से बाउण्डीवाल के अन्दर चूना डालकर अपनी भूमि बताई जा रही है, जबकि उपरोक्त भूमि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के आधार पर प्रथमदृष्टया आवेदक की पाई जाती है । ऐसी स्थिति में अनावेदकगणों को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक के कब्जे वाली भूमि में उसके शांतिपूर्ण कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न स्वयं करें और न करावें । इसी निर्देश के साथ यह वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p>	<p> सदस्य</p>